कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांकः–एफ 9/सहायता(178)बाढ/रेस्टोरेशन/2025/5002 दिनांकः– 11/12/2025

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष–2025 के दौरान बारां जिले में हुई अतिवृष्टि/बाढ/जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों के तत्काल रेस्टोरेशन हेतु संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ8(31)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/Rajkaj Ref 19178495 जयपुर दिनांक 04.12.2025 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 210/2025–26 के अनुसार बजट मद 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02–बाढ, चक्रवात आदि, 122– खराब सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनस्थापना, 02–बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता 01– बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता 21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)के अन्तर्गत निम्नांकित मरम्मत कार्यों की जिला स्तरीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड तृतीय को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्यो की तकनीकी स्वीकृति अविलम्ब जारी कर भिजवाऐ।

(1) कार्यकारी एजेन्सी– अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड तृतीय जिला–बारां

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त स्कीम का नाम	क्षतिग्रस्त नहरो/तालाब के मरम्मत कार्य	प्र ाासनिक स्वीकृति लाखों में
1	सेमली फाटक लघु सिचाई परियोजना	बाढ़ से क्षतिग्रस्त सेमनलीफाटक बाढ की पाल पर रेनकट मरम्मत का कार्य	2.00
2	खटका लघु सिंचाई परियोजना	बाढ़ से क्षतिग्रस्त खटका बांघ की रेनकट मरम्मत का कार्य	2.00
3	रामपुर तालाब	बाढ़ से क्षतिग्रस्त रामपुरा तालाब की पाल पर रेनकट मरम्मत का कार्य	2.00
4	सहरोल तलहटी तालाब	बाढ़ से क्षतिग्रस्त सहरोल तलहटी की पाल पर रेनकट मरम्मत का कार्य	2.00
5	बगदेव तालाब	बाढ़ से क्षतिग्रस्त बगदेव तालाब की पाल पर रेनकट मरम्मत का कार्य	2.00
6	नारायण खेडा बांघ	बाढ़ से क्षतिग्रस्त नारायणखेडा नहर की मरम्मत का कार्य	2.00
7	रतई लघु सिंचाई परियोजना	बाढ से क्षतिग्रस्त रतई बांघ की मानइरो नहरों की मरम्मत का कार्य	2.00
8	केलवाडा तालाब	बाढ से क्षतिग्रस्त केलवाडा बांघ की नहर की रेनकट मरम्मत का कार्य	2.00
		योग	**16.00**

उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन जारी की गई है, जिनकी पूर्ण पालना की जावे :–

1. उक्त विभाग के स्वीकृत कार्यो के लिए कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभिंयन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड तृतीय (क्षेत्रानुसार) होगी। निर्माण कार्यों का निष्पादन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्तीय

RajKaj Ref No.: 19238647
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.12.10 1?:00:05 IST
Reason: Approved

एवं लेखा नियमों, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

2. इस स्वीकृति के तहत प्रारम्भ कार्य वित्तीय वर्ष 2025–26 के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जावे। उसके बाद भी कोई कार्य अधूरा रहता है तो उसे विभागीय बजट मद से ही पूर्ण करना होगा तथा भुगतान का दायित्व भी संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी का होगा।
3. सभी स्वीकृत कार्य 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
4. सम्पादित कार्यों की एवज में देय राशि हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य को वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूर्ण किया जाकर कार्यवार व्यय राशि का पूर्ण विवरण, कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् का फोटोग्राफ (कॉर्डिनेट्स), कार्य पूर्णता उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं माप पुस्तिकाओं में दर्ज मूल्यांकन की छाया प्रतियों के साथ बिल 30 जनवरी, 2026 तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. डिफेक्ट लाईबिलिटि अनुबन्ध में जो क्षति अनुबन्ध के अनुसार संवेदक के व्यय पर मरम्मत योग्य है उन कार्यों पर मरम्मत का व्यय इस स्वीकृति एवं राशि के अधीन नहीं करवाया जावें।
6. उक्त स्वीकृत कार्यों को करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जावें कि मानसून के दौरान बरसात आने के कारण किया जा रहा व्यय निरर्थक न हो जावे।
7. यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित नहरे/बांध/तालाब का उपयोग जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
8. कार्यकारी संस्था के पास संधारण एवं मरम्मत मद से उपलब्ध विभागीय राशि के उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त ही इस मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
9. कार्यो का निष्पादन वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।
10. एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के नोर्म्स एवं विभागीय दिशानिर्देशों की पालना की जाना आवश्यक होगा। सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के निर्देशों की पूर्ण पालना आवश्यक होगी।
11. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग,जयपुर के जारी दिशा निर्देश एफ.8(1)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/2025 राजकाज 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
12. "कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है" इस आशय की उपखण्ड स्तरीय समिति की_निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

क्रमांकः–एफ 9/सहायता(178)बाढ/रेस्टोरेशन/2025/5003-09 **दिनांकः– /12/2025**

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग वृत्त, बारां
4 उपखण्ड अधिकारी शाहबाद/किशनगंज जिला बारां।
5 कोषाधिकारी, बारां।
6 प्रभारी अधिकारी, लेखा/केश अनुभाग, जिला कलक्टर, बारां।
7 अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड तृतीय जिला–बारां को भेजकर निर्देश है कि उक्त स्वीकृत कार्यो की नियमानुसार अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति जारी कर, इस कार्यालय को भिजवायें।

जिला कलक्टर,
बारां

RajKaj Ref No.:
19238647
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.12.10 1?:00:05 IST
Reason: Approved